

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

एल0ए0 वाद संख्या 73 / 2018-19 / 130 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक - 14.02.2020

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना महाराजपुर-तालझारी-कल्याणचक-पड़रिया मोड़ तीनपहाड़ आर0ओ0बी0-बाकुडीह-शर्मापुर मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु मौजा - तालझारी, थाना सं0-25, थाना-तालझारी, अंचल-तालझारी में कुल-0.186 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.186 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है और जो कि मौजा - तालझारी, थाना सं0-25, थाना-तालझारी, अंचल-तालझारी, जिला-साहेबगंज में है जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-


क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	32	856	रैयती	धानी औवल	0.030	रमैया हेम्ब्रम पिता - सोमाय हेम्ब्रम वगै0 सा0 - तालझारी	857	855	860	Road
2	32	855	रैयती	धानी दोएम	0.038	तथैव	856	Simana	856	Road
3	28	850	रैयती	धानी औवल	0.035	शिवशंकर तुरी पिता - रामकिशुन तुरी वगै0 सा0 - तालझारी	823	851	Road	849
4	47	851	रैयती	धानी औवल	0.035	भूजू हाँसदा पिता - शिबू हाँसदा सा0 - तालझारी	850	852	Road	852
5	47	852	रैयती	धानी दोएम	0.019	तथैव	851	853	Road	847
6	36	853	रैयती	धानी सोएम	0.029	सुनिता देवी पति - परमेश्वर तुरी वगै0 सा0 - तालझारी	852	Simana	Road	847
कुल रकवा -					0.186					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X, थाना सं0-..... X, अंचल-..... X, जिला-.....
 ...X....., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानिX..... हे0 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।


 13/2/2020
 उपायुक्त,
 साहेबगंज।